[2022] 5 एस. सी. आर. 899

/

कसबाई तुकाराम करवर और ओआरएस. बनाम.

कानूनी आकाओं और संगठनों के माध्यम से निवृति (मृत)। (2010 की सिविल अपील सं. 6076)

/

20 जुलाई, 2022

**[**के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-अधिनियम से पहले उत्तराधिकार-गोद लिए गए बेटे की तुलना में बेटी का हिस्सा, यदि कोई हो-संबंध का सिद्धांत-पहली अपीलकर्ता-वादी (मृत होने के बाद से) के पिता की 1948 में मृत्यु हो गई-उसका जन्म इसके तुरंत बाद हुआ-उसकी मां ने 1949 में एक बेटे (पहले प्रतिवादी) को गोद लिया-वादी द्वारा शिकायत अनुसूची की संपत्तियों के विभाजन की मांग करने वाले मुकदमे को अंततः उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें निचली अदालत और पहली अपील अदालत के समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया गया-अपील पर कहा गया:वर्तमान मामले में, स्वीकार किया जाता है कि 1956 के अधिनियम के लागू होने से पहले उत्तराधिकार खोला गया था-इसके अलावा, गोद लेने या गोद लेने की वैधता के बारे में कोई विवाद नहीं है-इस प्रकार, संबंध वापस लेने के सिद्धांत को लागू करने पर, यह माना जाएगा कि उनके पिता की मृत्यु की तारीख को, पहला प्रतिवादी बहुत अधिक काल्पनिक रूप से जीवित था और वह एकमात्र सह-पक्षकार बन जाएगा-गोद लिया गया बेटा (पहला प्रतिवादी), संबंध वापस करने के सिद्धांत को लागू करने पर एक बेटा होने के नाते, बेटी-वादी को बाहर कर देगा-वह एक उत्तराधिकारी नहीं होगी, उक्त सिद्धांत के आधार पर गोद लिए गए बेटे के काल्पनिक अस्तित्व को देखते हुए-किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया-हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 (XVIII)

/

/

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने**,**

अभिनिर्धारित किया **:1.1** गोद लेने या गोद लेने की वैधता के बारे में कोई विवाद नहीं है। वास्तव में, यह वादी का मामला है कि पहला प्रतिवादी गोद लिया हुआ बेटा था।उक्त आधार पर, आगे का निष्कर्ष अपरिहार्य है कि संबंध के सिद्धांत को वापस लागू करने पर, यह माना जाएगा कि उनके पिता की मृत्यु की तारीख को, पहला प्रतिवादी बहुत अधिक काल्पनिक रूप से जीवित था और वह एकमात्र सह-भागीदार बन जाएगा।किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उपाधि के निहित होने में कोई शून्य या विराम नहीं हो सकता है।यह एक ऐसा मामला है जहां हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, **1956** के लागू होने से पहले उत्तराधिकार की शुरुआत हुई थी।वादी ने भरोसा किया

/

/

899 ए.

900 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

भाग-**I** की धारा-**72** पर, अध्याय **VI**-हिंदू विधि पर मुल्ला में बॉम्बे राज्य में पुरुषों के उत्तराधिकार का आदेश, **23** वां संस्करण।वहाँ।

अन्य उत्तराधिकारी हैं लेकिन उन्हें संदर्भित नहीं किया जा रहा है।न्यायालय को, इस मामले के तथ्यों में, इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि गोद लिया गया पुत्र (प्रथम प्रतिवादी), संबंध वापस करने के सिद्धांत को लागू करने पर एक पुत्र होने के नाते, बेटी को बाहर कर देगा।यह परिणाम इस कथन से निकलता है कि क्रम **Nos.1** से **6** तक के व्यक्ति, अर्थात् बेटा, बेटे का बेटा (जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है) और बेटे का बेटा (जिसके पिता और दादा दोनों की मृत्यु हो चुकी है) एक साथ विरासत में मिलते हैं।यदि बेटा है, तो बेटी बेटे के साथ साझा करने की हकदार नहीं होगी।दूसरे शब्दों में, बेटी एक कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होगी जो बेटे के साथ एक साथ ले जाएगी।[पारस **11-14] [906**-सी-एफ; **907**-सी-ई]

/

/

**1.2** यह, निस्संदेह, सच है कि हिंदू महिलाओं की दृष्टि से

सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, **1937 (1937** का **18)**, विधवा, अन्य बातों के साथ-साथ,

उत्तराधिकारी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।उत्तराधिकार खुलने की तारीख के अनुसार, इस मामले में वर्ष **1948** में बेटी (अपीलार्थी) थी जिसे कोई अधिकार नहीं होगा।हिंदू

उत्तराधिकार अधिनियम और उसमें किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्तराधिकार के मामले में हुए व्यापक विकास को देखते हुए बेटी एक सह-भागीदार नहीं होगी, जो निस्संदेह वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत  है।वापस संबंध के सिद्धांत के आधार पर गोद लिए गए बेटे के काल्पनिक अस्तित्व को देखते हुए वादी बेटी उत्तराधिकारी नहीं होगी।जहाँ तक वादी की माँ और पहले प्रतिवादी के पुनर्विवाह के प्रभाव का संबंध है, फिर से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बेटे की उपस्थिति में, बेटी को बाहर रखा जा सकता है, इसके परिणामस्वरूप फिर से पुनर्विवाह के परिणामस्वरूप वादी-बेटी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।पुत्र के रूप में पहला प्रतिवादी संपत्ति का एकमात्र मालिक होगा।अपीलार्थियों ने किसी भी हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया है।**[**पारस **15,16** और **18] [907-**ई-एच**; 908-**ए, बी-सी**]**

/

/

/

गोविंद हनुमंत राव देसाई बनाम नागप्पा उर्फ नरहरी लक्ष्मण राव देशपांडे और गंभीर अन्य

/

(1972) 1 एससीसी 515:[1972] 3 एससीआर 200; श्रीपद

गजानन सुथानकर बनाम दत्ताराम काशीनाथ सुथानकर ए

/

901

कसबई तुकाराम कारवर और ओ. आर. एस. बनामकानूनी आकाओं और संगठनों के माध्यम से निवृति (मृत)।

और अन्य (1974) 2 एस. सी. सी. 156:[1974] 3 एस. सी. आर. 474-निर्भर।

हिंदू विधि  पर मुल्ला का 23 वां संस्करण-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

**[1972] 3** एससीआर **200**

संदर्भित

पैरा **10**

/

**[1974] 3** एससीआर **474**

संदर्भित

पैरा **10**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2010 की सिविल अपील सं. 6076।

2000 की दूसरी अपील संख्या 299 में औरंगाबाद की बॉम्बे बेंच में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

/

अनीश आर. शाह, बृज किशोर साह, सुश्री शिवानी रौतेला, आदित्य एस. जाधव, शिवाजी एम. जाधव, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

नचिकेता जोशी, सुश्री सुचेता जोशी, सुश्री हिमाद्री हक्सर, सुश्री माधवी मिश्रा, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

/

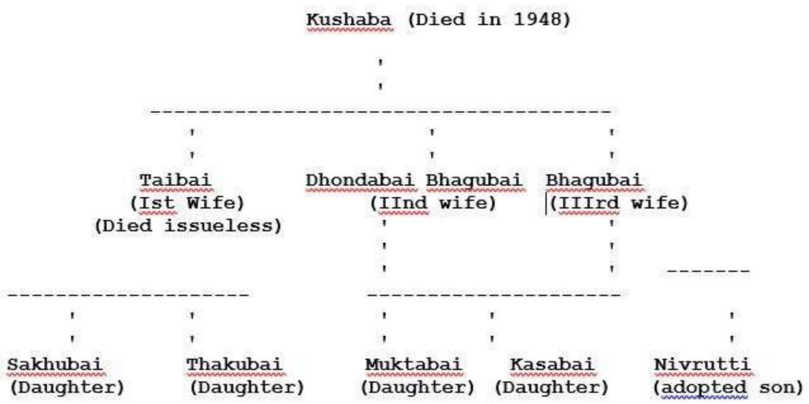
न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के**.** एम**.** जोसेफ**,** न्या **.**

आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय अनुज्ञात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 2000 की दूसरी अपील No.299 को मंजूरी दे दी है।दूसरी अपील 1986 के आर. सी. एस. No.91 से उत्पन्न हुई जो पहले अपीलार्थी (मृत होने के बाद से कासाबाई) द्वारा दायर की गई थी।उक्त मुकदमा अभियोग अनुसूची संपत्तियों के विभाजन की मांग करते हुए दायर किया गया था। पक्षों की वंशावली को स्वीकार किया जाता है और यह इस प्रकार है:-

/

/




/

/

902

/

[2022] 5 एस सी आर।

/

2. पहला अपीलार्थी (मृतक के बाद से कासाबाई) वादी थी।दूसरे शब्दों में, निवृति गोद लिया हुआ पुत्र है और उसे पहले प्रतिवादी के रूप में संदर्भित किया जाता है।वादी के पिता और पहले प्रतिवादी और परिवार के अन्य सदस्यों का 16 मार्च, 1948 को निधन हो गया।हम पहले ही देख चुके हैं कि पिता ने तीन मौकों पर शादी की थी।पहली शादी से कोई परेशानी नहीं हुई।दूसरी शादी ने वर्तमान मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को पेश किया।पिता द्वारा भागूबाई (तीसरी पत्नी) के साथ की गई तीसरी शादी से एक संतान पैदा हुई, जिसका नाम था, कासाबाई।वास्तव में, वादी का जन्म उसके पिता के निधन के 10 दिनों के बाद हुआ था। यह फिर से विवाद में नहीं है कि पहले प्रतिवादी को विधवा द्वारा 17.11.1949 पर एक पंजीकृत विलेख द्वारा गोद लिया गया था।इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि गोद लिए गए बेटे ने वादी अनुसूची की संपत्तियों पर अधिकार का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रतिवादी Nos.4 को 6 तक आरोपित किया गया।प्रतिवादी संख्या 4 से 6 दूसरी पत्नी (धोंडाबाई) और उनके पिता कुशाबा से पैदा हुई सौतेली बहनें हैं।उक्त मुकदमा तय किया गया था।अपील में एक समझौता था।उक्त समझौते के बल पर, सौतेली बहनों ने एक मुकदमा दायर किया-1984 का आर. सी. एस. नंबर 53।उक्त वाद को अंततः घोषित कर दिया गया है जैसा कि हम 2000 की दूसरी अपील को खारिज करके देख सकते हैं, जैसा कि सामान्य निर्णय  से देखा जा सकता है जो इस मामले में भी आक्षेपित  निर्णय  है।

/

/

/

3. हालाँकि, वर्तमान दीवानी अपील उस सामान्य निर्णय  से उत्पन्न होती है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय  ने 2000 की दूसरी अपील को अनुज्ञात  है।2000 की दूसरी अपील No.299 विभाजन के मुकदमे से उत्पन्न होती है जिसे हमने देखा है कि वादी द्वारा दायर किया गया था।जहाँ तक सौतेली बहनों (प्रतिवादी संख्या 4 से 6) और वादी के बीच के संबंध का संबंध है, इसे सामान्य निर्णय  द्वारा एक विराम दिया गया है।4. जहाँ तक वर्तमान दीवानी अपील से संबंधित कार्रवाई के कारण का संबंध है, वादी इस आधार पर आगे बढ़ा कि वाद अनुसूची संपत्तियाँ संयुक्त पारिवारिक संपत्तियाँ हैं।यह वादी का आगे का मामला है कि वादी बेटी होने के नाते गोद लिए गए बेटे के साथ साझा करने का हकदार था।उनकी माँ को भी एक हिस्सा

मिला और उन्होंने फिर से शादी कर ली।पुनर्विवाह का परिणाम विचारण विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में पाया गया है कि उसका हिस्सा कानूनी उत्तराधिकारियों में निहित होगा।नतीजतन, वादी और पहले प्रतिवादी (गोद लिए हुए बेटे) दोनों को आधा हिस्सा मिलेगा।इस दृष्टिकोण को प्रथम अपीलीय न्यायालय के हाथों भी स्वीकृति मिली।यह समवर्ती निष्कर्ष है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में आक्षेपित निर्णय द्वारा उलट दिया गया है।

/

/

/

/

903

कसबई तुकाराम कारवर और ओ. आर. एस. बनामकानूनी आकाओं और संगठनों के माध्यम से निवृति (मृत)। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

/

5. उच्च न्यायालय ने पाया है कि विधवा द्वारा एक बेटे को गोद लेने को देखते हुए, अर्थात्, वादी की माँ और पहले प्रतिवादी, गोद लेने का संबंध पिता-कुशाबा की मृत्यु के समय से होगा।वापस संबंध के सिद्धांत को लागू करने का आगे का परिणाम यह था कि गोद लिया हुआ बेटा एकमात्र और अनन्य उत्तराधिकारी के रूप में उभरेगा और वह वादी को उसके अधिकारों से वंचित कर देगा।

/

6. उच्च न्यायालय द्वारा यह भी पाया गया है कि वादी का मामला कि वह वाद अनुसूची संपत्तियों के संयुक्त कब्जे में थी, न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।उक्त संस्करण पर भी अविश्वास किया गया था।इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से समवर्ती निष्कर्षों को उलटने के बाद वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया गया।

/

7. हमने वादी के लिए विद्वान वकील और पहले प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील को सुना है।

8. वादी के लिए विद्वान वकील वापस संबंध के सिद्धांत की प्रयोज्यता के रूप में एक विवाद उठाएगा।वह आगे तर्क देंगे कि आक्षेपित निर्णय के परिणामस्वरूप बेटी को बाहर कर दिया जाता है जो गर्भ में थी, तब भी जब पिता जीवित था और पिता की मृत्यु के तुरंत बाद पैदा हुआ था।वह अपने सही हिस्से की हकदार है।इसमें जो कहा गया है, उसके संदर्भ में आगे बताया गया है।

/

हिंदू विधि पर मुल्ला, भाग I की धारा 72 का 23 वां संस्करण, कि उस क्षेत्र की बेटी जिससे पक्षकारों ने स्वागत किया (बॉम्बे

/

क्षेत्र) को उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार मिलेगा।यह आगे तर्क दिया जाता है कि अपनी माँ के पुनर्विवाह पर, वादी, एक कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में, किसी भी तरह से, अपने अधिकार का एक हिस्सा प्राप्त करेगी और गोद लिए गए बेटे के साथ माँ की संपत्ति में से एक हिस्से का हकदार होगी।

/

9. इसके विपरीत, गोद लिए गए बेटे (पहले प्रतिवादी) का विद्वान वकील आक्षेपित निर्णय का समर्थन करता है।वह प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय संबंध के सिद्धांत को वापस लागू करने में सही है।अपीलार्थी द्वारा हिंदू विधि के 23 वें संस्करण पर मुल्ला में पाई जाने वाली चर्चा के संदर्भ में, वह तर्क देगा कि एक बार यह पाया जाने पर कि दत्तक ग्रहण वैध है और संबंध का सिद्धांत लागू होता है, बेटा बेटी को बाहर कर देगा।यहां तक कि माँ के अधिकार के बाद के विभाजन से भी बाद में गोद लेने के कारण जो पिता की मृत्यु की तारीख से संबंधित है, वादी जो एक बेटी है, के लाभ को सुनिश्चित नहीं करेगा।

/

/

904

/

[2022] 5 एस सी आर।

10. जहाँ तक संबंध के सिद्धांत की बात है, हमें केवल इसकी आवश्यकता है

गोविंद हनुमंत राव देसाई बनाम नागप्पा उर्फ नरहरी लक्ष्मण राव देशपांडे और गंभीर अन्य, (1972) 1 एस. सी. सी. 515 और श्रीपद गजानन सुथानकर बनाम दत्ताराम काशीनाथ सुथानकर और अन्य, (1974) 2 एस. सी. सी. 156 में इस न्यायालय के नोटिस निर्णय। हम केवल

श्रीपद के अनुच्छेद 6,7 और 9 का उल्लेख करके आगे विस्तार करें।

/

गजानन सुथानकर और अन्य (सुप्रा)।

“6. यह स्थापित विधि  है कि एक विधवा द्वारा गोद लेने का संबंध दत्तक पिता की मृत्यु की तारीख से है, जो इस मामले में 1921 में हुई थी।वास्तव में, वर्तमान मामले की जटिलता विभिन्न उच्च न्यायालय ों और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति और इस न्यायालय  के फैसलों के आलोक में "संबंध-पीठ" की इस कानूनी कल्पना के अनुप्रयोग और 1944 के विभाजन की तुलना में उस कल्पना के आयाम पर सीमाओं से उत्पन्न होती है, जिसमें से अंतिम गोविंद बनाम नागप्पा है।अपीलार्थी के अनुसार, गोद लिए गए बेटे के अधिकार, क्योंकि वह "संबंध-वापस" के सिद्धांत के साथ सशस्त्र है, पूर्व-सक्रिय रूप से प्रभावी होने चाहिए, जिसके लिए दिशानिर्देश तय किए गए मामलों से उपलब्ध हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि

/

/

“जब मिताक्षर विधि  द्वारा शासित संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और विधवा वैध रूप से उसके लिए एक बेटे को गोद ले लेती है, तो संयुक्त संपत्ति में एक सह-आंशिक ब्याज तुरंत गोद लेने से पैदा होता है जो मृतक सह-भागीदार के पास था, और यह तुरंत गोद ली गई संपत्ति में निहित हो जाता है।

/

बेटा "।(हिंदू विधि  पर मुल्ला, 13 वीं Edn.p देखें।516.)

हालाँकि, वही लेखक इंगित करता है कि:“गोद लिए गए बेटे के अधिकार पहली बार उसके गोद लेने पर उत्पन्न होते हैं।वह दत्तक पुत्र के रूप में अपने अधिकारों के आधार पर अन्य व्यक्तियों को अलग कर सकता है, जिनमें दत्तक पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति निहित है, लेकिन पिछले धारक द्वारा किए गए सभी वैध अलगाव उस पर बाध्यकारी होंगे।पिछले अलगावों पर महाभियोग चलाने का उनका अधिकार उस धारक की क्षमता पर निर्भर करेगा जिसने अलगाव किया और साथ ही अलगाव की कार्रवाई की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा।जब धारक एक पुरुष था, जिसके पास स्थानांतरण का निरंकुश अधिकार था, उदाहरण के लिए, एक संयुक्त परिवार का अंतिम जीवित सदस्य, गोद लिया हुआ बेटा स्थानांतरण पर महाभियोग नहीं चला सकता था।ए के मामले में

/

/

/

कसबाई तुकाराम करवर और ओआरएस. बनाम.कानूनी आकाओं और ओ. आर. एस. के माध्यम से निवृत्ति (मृत)। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

जिन महिलाओं के पास किसी भी गोद लेने के अलावा स्थानांतरण के सीमित अधिकार थे, स्थानांतरण केवल तभी मान्य होंगे जब वे कानूनी आवश्यकता द्वारा समर्थित हों।( आई. बी. आई. डी., पीपी. 516-517; पैरा 507.)"एक गोद लिया हुआ बेटा गोद लेने से पहले अपने गोद लेने वाले पिता द्वारा किए गए अलगाव से उतना ही बंधा होता है जितना कि एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ बेटा होता है।( आइबीआइडी;पी. 517:पैरा 508.)

/

7. यह तय विधि  है कि गोद लिए गए बेटे के अधिकार गोद लेने के क्षण से ही अस्तित्व में आते हैं और गोद लेने से पहले विधवा द्वारा किए गए सभी अलगाव, यदि वे विधि ी आवश्यकता के लिए या अन्यथा विधि ी रूप से किए जाते हैं, जैसे कि अगले प्रत्यावर्तकों की सहमति से, गोद लिए गए बेटे पर बाध्यकारी हैं।यहां जो संकीर्ण लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न  उठता है वह यह है कि क्या 1956 में गोद लेने से 1944 के विभाजन को नुकसान हो सकता है, जो उस समय की शर्तों के अंतर्गत  वैध रूप से किया गया था, और महादेव द्वारा विशेष रूप से उन्हें अलग की गई संपत्तियों का उपहार और इसलिए, उनके द्वारा अलग किए जाने योग्य, वादी द्वारा "संबंध-वापसी" की कानूनी कल्पना के आवेदन पर पूर्व-सक्रिय रूप से अमान्य किया जा सकता है।यह संभावना नहीं है कि इसके बाद भी ऐसा ही प्रश्न  उठेगा क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 4 ने व्यावहारिक रूप से हिंदू विधि  के ग्रंथों, नियमों और इस तरह के अन्य विषयों को हटा दिया है, जो अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले लागू उस विधि  का हिस्सा थे, यदि अधिनियम में ऐसे मामलों के लिए प्रावधान किए गए हैं। चूंकि पति की मृत्यु पर विधवा एक पूर्ण संपत्ति लेती है, इसलिए इस अपील में हमें शामिल करने वाले प्रकार के प्रश्न हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे।बेशक, हमें मामले के इस पहलू की जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान मामला पूर्व-सांविधिक गोद लेने से संबंधित है।यहां तक कि हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 12 भी यह स्पष्ट करती है कि गोद लिए गए बच्चे को गोद लेने की तारीख से सभी उद्देश्यों के लिए उसके दत्तक पिता या मां का बच्चा माना जाएगा।

/

/

/

/

9. वादी, दत्तक पुत्र के रूप में, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दत्तक पिता की पंक्ति को जारी रखता है और जब विधवा गोद लेती है, तो "संबंध-वापसी" का सिद्धांत

दिवंगत पति की मृत्यु के क्षण से पुत्रत्व को पूर्वव्यापी बनाता है।ऐसा माना जाता है कि नए प्रवेशक का जन्म दत्तक पिता की मृत्यु की तारीख को हुआ था।मान लीजिए कि गोद लेने वाले पिता की मृत्यु के समय एक अविभाजित परिवार अस्तित्व में था, तो पूर्ववर्ती पुत्रत्व की कानूनी कल्पना काल्पनिक जन्म के बीच के कार्यों को कितनी दूर तक बाधित कर सकती है।

/

/

906

/

[2022] 5 एस सी आर।

और वास्तविक दत्तक ग्रहण?मुल्ला फैसलों के परिणाम का सारांश इस प्रकार देता हैः(पृ. 496)

“यदि, इसलिए, दत्तक पिता की मृत्यु के समय कोई सह-साझेदारी अस्तित्व में थी, तो चाहे वह अंतिम जीवित सह-भागीदार की मृत्यु से समाप्त हो गई हो या बाद में शेष सदस्यों के बीच विभाजन से, मृतक सह-भागीदार की विधवा द्वारा वैध रूप से किए गए गोद लेने का प्रभाव पहले मामले में अंतिम जीवित सह-भागीदार को उत्तराधिकारी के हाथों में संपत्ति को विभाजित करने और दूसरे में विभाजन को समाप्त करने और गोद लिए गए बेटे को पारिवारिक संपत्तियों में एक हिस्से का दावा करने में सक्षम बनाने का होगा जैसे कि वे अभी भी संयुक्त थे। "

/

/

11. इस मामले में गोद लेने या गोद लेने की वैधता के बारे में कोई विवाद नहीं है।वास्तव में, यह वादी का मामला है कि पहला प्रतिवादी गोद लिया हुआ बेटा था।उक्त आधार पर, आगे का निष्कर्ष अपरिहार्य है कि संबंध के सिद्धांत को वापस लागू करने पर, यह माना जाएगा कि उनके पिता की मृत्यु की तारीख को, पहला प्रतिवादी बहुत अधिक काल्पनिक रूप से जीवित था और वह एकमात्र सह-भागीदार बन जाएगा।यह निर्विवाद है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उपाधि के निहित होने में कोई शून्य या विराम नहीं हो सकता है।हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह एक ऐसा मामला है जहां हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले उत्तराधिकार की शुरुआत हुई थी।

/

/

12. वादी के विद्वान वकील, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर भरोसा किया

भाग-I की धारा-72, अध्याय VI-हिंदू विधि  पर मुल्ला में बॉम्बे राज्य में पुरुषों के उत्तराधिकार का आदेश, 23 वां संस्करण जो है

नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- 72. मिताक्षरा द्वारा शासित मामलों में उत्तराधिकार का क्रम-मिताक्षरा द्वारा शासित मामलों में बॉम्बे राज्य में सपिंडाओं के बीच पुरुषों के उत्तराधिकार का क्रम निम्नलिखित हैः

/

(1-6) बेटा, बेटे का बेटा (जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है) और बेटे का बेटा (जिसके पिता और दादा दोनों की मृत्यु हो चुकी है)।ये एक साथ विरासत में मिलते हैं।1937 के अधिनियम XVIII अंतर्गत  विधवा, पूर्व मृत बेटे की विधवा और पूर्व मृत बेटे के पूर्व मृत बेटे की विधवा को भी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाती है।

/

XXXXX

(7) बेटी।

XXXXX A

/

907

कसबई तुकाराम कारवर और ओ. आर. एस. बनामकानूनी आकाओं और संगठनों के माध्यम से निवृति (मृत)। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

बॉम्बे राज्य में, बेटी उत्तरजीविता के लाभ के साथ संयुक्त किरायेदार के रूप में नहीं लेती है, लेकिन वे सामान्य किरायेदार के रूप में लेती है।इसके अलावा, उस राज्य में एक बेटी अपने पिता की संपत्ति में सीमित संपत्ति नहीं लेती है, बल्कि संपत्ति को पूरी तरह से लेती है।इस प्रकार, यदि बॉम्बे स्कूल द्वारा शासित हिंदू दो बेटियों को छोड़कर मर जाता है, तो प्रत्येक बेटी अपने पिता की संपत्ति के एक हिस्से में पूर्ण रुचि लेती है, और इसे अपनी अलग संपत्ति के रूप में रखती है, और उसकी मृत्यु पर उसका हिस्सा अपने उत्तराधिकारियों को उसके स्त्रीधन के रूप में दिया जाएगा।

/

XXXXX

13. अन्य उत्तराधिकारी भी हैं लेकिन उन्हें नहीं भेजा जा रहा है।इस मामले के तथ्यों में, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि गोद लिया हुआ बेटा (पहला प्रतिवादी), संबंध वापस करने के सिद्धांत को लागू करने पर एक बेटा होने के नाते, बेटी को बाहर कर देगा।यह परिणाम इस कथन से निकलता है कि क्रम Nos.1 से 6 तक के व्यक्ति, अर्थात् बेटा, बेटे का बेटा (जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है) और बेटे का बेटा (जिसके पिता और दादा दोनों की मृत्यु हो चुकी है) एक साथ विरासत में मिलते हैं।

/

/

14. हमारा मानना है कि अगर कोई बेटा है, तो बेटी बेटे के साथ साझा करने की हकदार नहीं होगी।दूसरे शब्दों में, बेटी एक कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होगी जो बेटे के साथ एक साथ ले जाएगी।वास्तव में, जो उदाहरण दिया गया है और जिसे हमने निकाला है, वह केवल ऐसी स्थिति में लागू होगा जहां केवल बेटियां थीं और कोई बेटा नहीं था।

/

15. यह, निस्संदेह, सच है कि हिंदू महिलाओं की दृष्टि से

सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 (1937 का 18), विधवा, अन्य बातों के साथ-साथ,

उत्तराधिकारी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।उत्तराधिकार खुलने की तारीख के अनुसार, इस मामले में वर्ष 1948 में बेटी (अपीलार्थी) थी जिसे कोई अधिकार नहीं होगा।हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और उसमें किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्तराधिकार के मामले में हुए व्यापक विकास को देखते हुए बेटी एक सह-भागीदार नहीं होगी, जो निस्संदेह वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत  है।वापस संबंध के सिद्धांत के आधार पर गोद लिए गए बेटे के काल्पनिक अस्तित्व को देखते हुए वादी बेटी उत्तराधिकारी नहीं होगी।

/

/

16. जहाँ तक वादी की माँ और पहले प्रतिवादी के पुनर्विवाह के प्रभाव का संबंध है, फिर से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बेटे की उपस्थिति में, बेटी को बाहर रखा जा सकता है, इसके परिणामस्वरूप फिर से वादी-बेटी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

/

पुनर्विवाह।दूसरे शब्दों में, पहला प्रतिवादी, पुत्र के रूप में, संपत्ति का एकमात्र मालिक बन जाएगा।

17. गोद लिए गए बेटे (प्रथम प्रतिवादी) और सौतेली बहनों के बीच किए गए समझौते की शर्तों से सहायता प्राप्त करने की मांग की जाती है, जिसमें वादी पक्षकार नहीं था।हमें ऐसे मामले का निर्णय लेने के लिए भी नहीं कहा जाता है, जो वादी के पक्ष में उत्पन्न हो।

/

18. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं ने किसी भी हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया है।याचिका खारिज की जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

/

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

/

/

/

/

/